राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.18(1)नविवि/प.ई.नी./2015 जयपुर, दिनांकः - 6 JUN 2015

आदेश

पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन इकाई नीति 2015, जारी की जा चुकी है। अतः इस नीति के अन्तर्गत परिभाषित समस्त पर्यटन इकाइया (भविष्य में पर्यटन इकाई नीति में हाने वाले संशोधनों को सम्मिलित करते हुये) को भूमि उपलब्ध कराने भू–रूपान्तरण या अन्य छूट एवं सुविधा प्रदान करने हेतु विभाग द्वारा जारी पूर्व के समस्त परिपत्रों (प.10(61)नविवि/3/06पार्ट दिनांक 24.12.2007, 16.04.2013, 18.03.2014 एवं 26.03.2014) को अधिक्रमित करते हुय निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते है :–

1. होटलो एवं पर्यटन इकाई हेतु भूमि आवंटन –

(i) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पर्यटन इकाईयों, जिसमें समस्त प्रकार के होटल सम्मिलित है, की स्थापना व विकास हेतु भूमि की उपलब्धता निम्न प्रकार से की जायेगी –

(अ) जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यासों, नगर पालिकाओं एवं राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा पर्यटन इकाईयां, जिसमें होटल भी सम्मिलित है, की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमि का चयन कर भूमि बैंक की स्थापना की जायेगी, जिसमें विभिन्न श्रेणी के होटलों व पर्यटन इकाई हेतु भूमि का आरक्षण किया जायेगा :–

(1) बजट होटल (1, 2 व 3 सितारा)

(2) चार सितारा होटल

(3) पांच सितारा होटल व डीलक्स श्रेणी के होटल

(4) अन्य पर्यटन इकाई

(ब) इस प्रकार स्थापित भूमि बैंक की सूचना स्थानीय निकाय एवं पर्यटन विभाग की वेब साईट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(स) विभिन्न श्रेणी की होटलों व अन्य पर्यटन इकाईयों को अधिकतम/न्यूनतम भूमि क्षेत्र का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा।

क्रं.सं.	होटल श्रेणी	न्यूनतम भूमि क्षेत्र	अधिकतम भूमि क्षेत्र
1.	बजट होटल (1, 2 व 3 सितारा)		4000 वर्गमीटर तक
2.	4 सितारा	6000 वर्ग मीटर तक	12,000 वर्गमीटर तक
3.	5 सितारा व डीलक्स श्रेणी	18,000 वर्ग मीटर तक	40,000 वर्गमीटर तक
4.	अन्य पर्यटन इकाई	–	आवश्यकता/उपलब्धतानुसार